हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970
(1970 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30)

विषय–सूची

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारंभ।
2. परिभाषाएं।
3. राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा अथवा उसके अधीन के सिवाय पशु मेलों के आयोजन आदि का वर्जन।
4. मेला अधिकारी और उनके कर्तव्य आदि।
5. समिति का गठन।
6. मेला क्षेत्रों में कर अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति।
7. कर आदि अधिरोपित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों की अधिकारिता का अपवर्जन।
8. मेला अधिकारियों की सहायता करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों का कर्तव्य।
9. फीसों का उद्ग्रहण।
10. दलालों को अनुज्ञप्ति देना।
11. मेला क्षेत्रों में कतिपय व्यक्तियों और पशुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की शक्ति।
12. आग लग जाना।
13. अप्राधिकृत सन्निर्माण हटाने की शक्ति।
14. आबंटितियों की बेदखली।
15. व्यक्तियों के विरूद्ध संक्षिप्त कार्यवाहियां।
16. पशु मेला निधि।
17. शास्तियां।
18. अपराधों का संज्ञान।
19. सम्पत्ति का अभिग्रहण और समपहरण करने की शक्ति।
20. प्रशमन।
21. विनियम बनाने की शक्ति।
22. नियम बनाने की शक्ति।
23. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना।

हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970

(1970 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30)

[1][हरियाणा कैटल फेयर ऐक्ट, 1970 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के 16 मार्च, 1974 के प्राधिकार के अधीन एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा।]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	विधान द्वारा निरसित या अन्यथा प्रभावित।
1970	30	हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970	1971 के हरियाणा अधिनियम संख्या 36 द्वारा संशोधित[2] 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 41 द्वारा संशोधित[3] 2001 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 द्वारा संशोधित[4] 2008 के हरियाणा अधिनियम संख्या 24 द्वारा संशोधित[5] 2013 के हरियाणा अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित[6]

---

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1969, दिनांक 17 जनवरी, 1969, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 45.
2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण) 1971, दिनांक 2 अगस्त, 1971, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 1040.
3. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 1976, दिनांक 5 नवम्बर, 1976, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 1794 तथा हिन्दी पृष्ठ संख्या 1796.
4. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 2001, दिनांक 7 फरवरी, 2001, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 306 तथा हिन्दी पृष्ठ संख्या 308.
5. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 19 मार्च, 2008, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 1362 तथा हिन्दी पृष्ठ संख्या 1364.
6. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए, हरियाणा राजपत्र (असाधारण), 2013, दिनांक 6 सितम्बर, 2013, अंग्रेजी पृष्ठ संख्या 4016, तथा हिन्दी पृष्ठ संख्या 4018.

हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970

(1970 का हरियाणा अधिनियम संख्या 30)

हरियाणा राज्य में पशु मेलों का आयोजन, नियंत्रण, प्रबन्ध तथा विनियमन करने के लिए और उनसे सम्बद्ध और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारंभ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970, कहा जा सकता है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "दलाल" से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो कमीशन के संदाय पर किसी पशु मेले में पशु के विक्रेता तथा क्रेता के बीच सौदा कराता है ;

(ख) "पशु" के अन्तर्गत है, कोई भैंस, ऊंट, गाय, गधा, [ ][1] घोड़ा, खच्चर और उनके बच्चे और ऐसे अन्य पशु, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ;

(ग) "पशु मेला" से अभिप्रेत है, पशुओं के विक्रय या क्रय के अथवा विक्रय या क्रय के लिए प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए बीस से अधिक व्यक्तियों का कोई जनसमूह [2][और इसके अन्तर्गत है पशु मंडी];

[3](गग) "पशु मंडी" से अभिप्रेत है, कोई स्थान जहां पशुओं के विक्रय या क्रय का कारबार नियमित रूप से किया जाता है, ;

(घ) "उपायुक्त" के अन्तर्गत है, कोई अपर उपायुक्त तथा ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त करे ;

(ङ) "मेला क्षेत्र" से अभिप्रेत है, किसी जिले का ऐसा क्षेत्र, जिसे किसी मेला अधिकारी द्वारा कोई पशु मेला आयोजित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ;

---

1. 2013 के हरियाणा अधिनियम संख्या 25 द्वारा लोप।
2. 1971 के हरियाणा अधिनियम संख्या 36 द्वारा रखा गया।
3. उपरोक्त द्वारा खण्ड (ग ग) जोड़ा गया।

(च) किसी मेला क्षेत्र के सम्बन्ध में, "मेला अधिकारी" से अभिप्रेत है, धारा 4 के अधीन ऐसे क्षेत्र के लिए नियुक्त कोई अधिकारी ;

(छ) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

3. (1) हरियाणा राज्य में किसी स्थान पर कोई पशु मेला आयोजित करने और ऐसे मेले का नियन्त्रण, प्रबन्ध तथा विनियमन करने का अधिकार केवल राज्य सरकार में ही निहित होगा और उसके द्वारा, इस अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों के माध्यम से, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, प्रयोज्य होगा। राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा अथवा उसके अधीन के सिवाए पशु–मेलों के आयोजन आदि का वर्जन।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति, सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा हरियाणा राज्य में किसी स्थान पर किसी पशु मेले का उपधारा (1) द्वारा उपबंधित के सिवाय आयोजन, नियंत्रण, प्रबन्ध या विनियमन विधि विरूद्ध होगा।

4. (1) किसी जिले में पशु मेलों का आयोजन, नियंत्रण, प्रबन्ध और विनियमन करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा एक या अधिक मेला अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे: मेला अधिकारी और उनके कर्त्तव्य आदि।

परन्तु एक से अधिक जिलों के लिये भी एक ही मेला अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

(2) सम्बद्ध उपायुक्त के निदेश तथा नियंत्रण के अध्यधीन, मेला अधिकारी किसी मेले का आयोजन करने से सम्बद्ध सभी मामलों के बारे में व्यवस्था करने और उनका समुचित नियंत्रण, प्रबन्ध तथा विनियमन करने के लिये उत्तरदायी होगा और उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :–

(i) मेला क्षेत्र परिनिश्चित करना ;

(ii) ऐसे स्थल या स्थान आरक्षित करना, जो शौचालयों, मूत्रालयों, स्नानगृहों, दुकानों, प्रदर्शनियों, तमाशों, निदर्शनों, पशुओं के पैर धोने के स्थानों की व्यवस्था करने, पीने के पानी के प्रदाय तथा आश्रय स्थानों एवं हरे तथा सूखे चारे की तथा मनोरंजन की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिये और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों ;

(iii) विहित रीति में पशु मेले के सम्बन्ध में वाणिज्यिक अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये अस्थायी रूप से स्थल आबंटित करना, उन पर संरचनाएं खड़ी करने का प्राधिकार देना और ऐसे स्थलों के लिये किराये नियत करना ;

(iv) पशु मेले के सम्बन्ध में अधिरोपित और उद्‌गृहीत करों और फीसों के संग्रहण के प्रयोजन के लिये अस्थायी कार्यालयों का सन्निर्माण करना ; और

(v) पहरा और निगरानी, प्रकाश, चिकित्सक द्वारा प्राथमिक–उपचार, पशु–चिकित्सक द्वारा उपचार, सफाई तथा तम्बू लगाने की व्यवस्था और ऐसी अन्य व्यवस्थाएं, जो पशु मेले के सम्बन्ध में आवश्यक हों।

समिति का गठन।

5. किसी पशु मेले के प्रबन्ध तथा नियंत्रण से सम्बद्ध सभी मामलों के बारे में किसी मेला अधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार, प्रत्येक पशु–मेले के लिये, उस जिले के, जिसमें पशु मेला होता है, संसद्, राज्य विधानमण्डल तथा स्थानीय प्राधिकरणों के, जिनके अन्तर्गत पंचायतें है, सदस्यों में से अध्यक्ष सहित ग्यारह से अनधिक व्यक्तियों वाली एक समिति विहित रीति में गठित करेगी।

मेला–क्षेत्रों में कर अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति।

6. राज्य सरकार, किसी पशु मेले के जारी रहने के दौरान–––

(क) कारबार के प्रयोजनों के लिये मेला क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले यानों पर पथकर ; और

(ख) मेला–क्षेत्र के भीतर विक्रय के लिये लाए गए माल पर चुंगी,

ऐसी रीति में तथा ऐसी दरों पर, जो विहित की जाएं, अधिरोपित कर सकती है :

परन्तु ऐसा कोई शुल्क ऐसे माल पर अधिरोपित नहीं किया जायेगा, जिस पर, ऐसे स्थानीय प्राधिकरण की सीमाओं में प्रवेश के समय, जिसमें वह मेला क्षेत्र स्थित है, ऐसा शुल्क पहले ही उद्‌गृहीत किया जा चुका है।

कर आदि अधिरोपित करने के लिये प्राधिकरणों की अधिकारिता का अपवर्जन।

7. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, मेला जारी रहने के दौरान किसी पशु मेले से सम्बद्ध किसी मेला क्षेत्र में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण कोई कर या फीस अधि ारोपित करने के लिये सक्षम नहीं होगा।

मेला–अधिकारियों की सहायता करने के लिये स्थानीय प्राधिकरणों का कर्त्तव्य।

8. ऐसा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, जिसकी अधिकारिता सीमाओं के भीतर कोई मेला–क्षेत्र या उसका कोई भाग स्थित है, ऐसे क्षेत्र में किसी पशु मेले का आयोजन, नियंत्रण, प्रबन्ध या विनियमन करने के प्रयोजनों के लिये मेला अधिकारी को ऐसी सहायता देगा, जो पशु मेले के सम्बन्ध में मेला अधिकारी द्वारा उससे अपेक्षित की जाये।

9. [1][(1) किसी पशु मेला में पशु बेचने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रीति में, ऐसी फीस के भुगतान पर और ऐसे प्राधिकारी से, जैसा विहित किया जाए, ऐसे पशु के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा।]

1. 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 41 द्वारा धारा 9 को उस उप–धारा 2 के रूप में पुनः संख्याकित तथा पुनः संख्याकित उप– धारा 2 से पहले उप–धारा 1 रखी गई।

(2) किसी पशु मेले में पशु क्रय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी रीति में, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्राधिकारी से, जो विहित किया जाए, ऐसे पशु के बारे में एक विक्रय प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा।

दलालों को अनुज्ञप्ति देनी।

10. (1) कोई भी व्यक्ति किसी मेला क्षेत्र में दलाल के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक उसे ऐसे क्षेत्र के बारे में कोई अनुज्ञप्ति ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर, जो उसमें वर्णित की जाएं, नहीं दी जाती।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में, ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी की जायेगी, जो विहित किया जाये।

(3) कोई भी दलाल, पशु के विक्रय या क्रय के बारे में किसी विक्रेता या क्रेता से अथवा दोनों से बेचे गये पशु के मूल्य के कुल मिलाकर एक प्रतिशत से अधिक दर पर कमीशन का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि मेला अधिकारी का समाधान हो जाता है कि दलाल की अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति ने अनुज्ञप्ति की शर्तो तथा निबंधनों में से किसी का अतिक्रमण किया है अथवा इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया है, तो वह दलाल को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसकी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द कर सकता है।

(5) किसी दलाल की अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने वाला कोई आदेश सम्बद्ध उपायुक्त द्वारा ऐसी रीति में पुनरीक्षण होगा, जो विहित की जाए।

मेला–क्षेत्रों मे कतिपय व्यक्तियों और पशुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की शक्ति।

11. (1) कोई भी व्यक्ति—

(क) किसी संक्रामक अथवा सांसर्गिक रोग से पीड़ित किसी पशु को मेला क्षेत्र के भीतर नहीं लाएगा ; अथवा

(ख) मेला क्षेत्र के भीतर पशुओं के विक्रय या क्रय में बाधा नहीं डालेगा या उसमें अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा अथवा दलालों, विक्रेताओं या क्रेताओं को नहीं बहकाएगा अथवा अनुचित साधनों द्वारा पशु मेले की आय को हानि नहीं पहुंचाएगा।

(2) मेला अधिकारी को निम्नलिखित के लिये शक्तियां प्राप्त होंगी—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी पशु के मेला क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगाना या ऐसे पशु को ऐसे क्षेत्र में से बाहर निकलवाना ;

(ख) यदि आवश्यक हो, तो मेला क्षेत्र में पशुओं को रोगों से प्रतिरक्षित करवाना ;

(ग) किसी बीमार पशु को अलग रखवाना ;

(घ) मेला क्षेत्र में किसी मृत पशु को हटाने का प्रबन्ध करना ; और

(ङ) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्तिको, किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, जिसके लिये वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दायी हो, मेला क्षेत्र से निकालना।

(3) उपधारा (2) के उपबन्धों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिये अधिकारी ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जैसा आवश्यक हो।

आग लग जाना

12. आग लग जाने की दशा में, मेला अधिकारी किसी संरचना को तोड़ने का आदेश दे सकता है, यदि उसकी राय में आग के फैलने को रोकने के लिये उसका तोड़ना आवश्यक या समीचीन है और इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये गये तात्पर्यित किसी कार्य के लिये कोई भी वाद या कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अप्राधिकृत सन्निर्माण हटाने की शक्ति।

13. मेला अधिकारी, किसी मेला क्षेत्र में, किसी अप्राधिकृत सन्निर्माण को हटा सकता है और ऐसे हटाने का खर्चा सन्निर्माण करने वाले व्यक्ति से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति मेला अधिकारी की लिखित मांग पर ऐसे खर्चे का संदाय करने में असफल रहता है।

आबंटितियों की बेदखली।

14. (1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करता है, तो मेला अधिकारी मेला क्षेत्र में आबंटित स्थल से उसकी बेदखली का आदेश कर सकता है।

(2) यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त कारण के बिना उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो मेला अधिकारी उस स्थल का कब्जा ले सकता है और उस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है, जो आवश्यक हो।

व्यक्तियों के विरूद्ध संक्षिप्त कार्यवाहियां।

15. (1) यदि किसी समय मेला अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन वसूली–योग्य कोई राशि देय है, या देय होने वाली है, मेला क्षेत्र से जाने वाला है, तो मेला अधिकारी देय या देय होने वाली राशि का बिल तैयार करवा कर ऐसे व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करा सकता है और उसका संदाय तुरंत करने की उससे मांग कर सकता है।

(2) यदि ऐसा बिल प्रस्तुत करने पर, उक्त व्यक्ति देय या देय होने वाली राशि का संदाय तत्काल नहीं करता है, तो ऐसी राशि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पशु अथवा अन्य चल सम्पति के विहित रीति में अभिहरण और विक्रय द्वारा वसूल की जायेगी।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई राशि वसूल नहीं की जा सकती, अथवा केवल आंशिक रूप में वसूल की गई है, तो यथास्थिति, ऐसी राशि या उसका अतिशेष भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति मेला अधिकारी की लिखित मांग पर उसका संदाय करने में असफल रहता है।

[1][15क. कोई व्यक्ति मेला क्षेत्र के साथ लगे क्षेत्र में और उसके चारों ओर एक किलोमीटर की दूरी के भीतर पशुओं को न तो बेचेगा और न ही खरीदेगा। मेला क्षेत्र से परे पशुओं के बेचने और खरीदने पर पाबन्दी।

16. (1) प्रत्येक जिले में "पशु मेला निधि" नामक एक निधि गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित राशियां जमा की जायेंगी, अर्थात् :— पशु मेला निधि।

(क) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन प्राप्त या वसूल की गई सभी फीसें, किराये या अन्य धन–राशियां (जो पथकर और कर न हों) ; तथा

(ख) सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण, अथवा किसी अन्य व्यक्ति या सोसाइटी द्वारा निधि में दिए गए सभी दान या अनुदान।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी धन "पशु मेला निधि" शीर्ष के अधीन जमा किए जायेंगे, जो जिले के ऐसे राजकोष या उप राज कोष में रखी जाएगी जो उपायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(3) पशु मेला निधि उपायुक्त द्वारा विहित रीति में प्रचालित की जाएगी और उसका उपयोग इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों के आनुषंगिक सभी प्रभारों तथा व्ययों के पूर्णतः या भागतः संदाय के प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित प्रयोजन भी हैं, अर्थात् :

(क) पशु मेलों का आयोजन, नियंत्रण, प्रबन्ध या विनियमन करने के लिये और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों के लिये आवश्यक सभी व्यय ;

(ख) पशु मेले के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों के वेतनों तथा भत्तों का संदाय ;

(ग) ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा निधि के लेखों की परीक्षा करने की फीसों का ऐसी दर पर संदाय, जो राज्य सरकार अवधारित करे;

(घ) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई पशु मेला आयोजित करने के प्रयोजन के लिये उसके द्वारा किये गये किसी व्यय या दिये गये अधिदायों की प्रतिपूर्ति।

[2][(4) उप–धारा (3) में निर्दिष्ट प्रभारों तथा व्ययों का संदाय करने के बाद, पशु मेला निधि का अतिशेष, सम्बद्ध पंचायत समिति को तथा सम्बद्ध ग्राम पंचायत या नगरपालिका समिति या अधिसूचित क्षेत्र समिति जिसकी अधिकारिता में पशु मेले आयोजित

1. 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 41 द्वारा रखी गई
2. 2008 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

किए जाते हैं, को समान अनुपात में आबंटित किया जाएगा। आबंटित निधि पशु या पशुपालन के विकास तथा उनके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाएगी।

शास्तियां।

17. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है—

(क) प्रथम अपराध के लिये, कारावास से, जो छह माह तक हो सकता है या जुर्माने से जो दो हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों से, दंडनीय होगा ; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिये, कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा:

परन्तु द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध की दशा में, अभिलिखित किए जाने वाले विशेष और पर्याप्त कारणों के बिना ऐसा कारावास छह मास से कम नहीं होगा और ऐसा जुर्माना दो हजार रूपये से कम नहीं होगा।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 या [1][धारा 10] की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) [2][अथवा धारा 15 क] के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो एक मास तक हो सकता है या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, तो या दोनों से, दंडनीय होगा।

अपराधों का संज्ञान।

18. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान मेला अधिकारी द्वारा या इस निमित्त उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो राजपत्रित अधिकारी से नीचे की पदवी का न हो, लिखित परिवाद किये जाने के बिना नहीं करेगा।

(3) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण संक्षिप्त रीति में किया जा सकता है।

सम्पत्ति का अभिग्रहण और समपहरण आदि की शक्ति

19. (1) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसा अपराध करने में प्रयुक्त सारी चल सम्पत्ति और ऐसे अपराध के अनुसरण में उसके द्वारा संगृहीत सारी धन राशि अभिगृहीत कर लेगा।

(2) जब कभी धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, न्यायालय निदेश करेगा कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत समस्त चल सम्पत्ति और सभी धन राज्य सरकार को समपहृत हो जाएंगे।

---

1. 1976 के हरियाणा अधिनियम संख्या 41 द्वारा जोड़ी गई।
2. 2003 के हरियाणा अधिनियम संख्या 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

20. मेला अधिकारी, धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय किसी अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति से पांच सौ रूपये से अनधिक कोई धन–राशि अपराध के प्रशमन के रूप में स्वीकार कर सकता है, और ऐसा संदाय किये जाने पर, ऐसा व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में है, स्वतन्त्र कर दिया जायेगा और यह प्रशमन दोषमुक्ति के बराबर समझा जायेगा तथा उसी अपराध के बारे में ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी दशा में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी। प्रशमन।

विनियम बनाने की शक्ति।

21. मेला अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन और राज्य सरकार के अनुमोदन से, साधारणतया आग लग जाने या उसके फैलने के विरूद्ध व्यवस्था करने के लिये और विशेषतया निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विनियम बना सकता है, अर्थात् :—

(i) मेला क्षेत्र में बनाए गए निर्माणों और संरचनाओं की सुरक्षा ;

(ii) ऐसी शर्ते अधिकथित करना, जिनके अधीन झोंपड़ियां तथा अन्य संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, जिनके अन्तर्गत हैं ऐसी झोंपड़ियों या संरचनाओं की ऊंचाई की सीमाएं और ऐसे क्षेत्र जिन पर उनका सन्निर्माण किया जाना है और उनके बीच की दूरियां ;

(iii) जल–प्रदाय की व्यवस्था करना ;

(iv) भोजन बनाने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये आग का उपयोग निर्बन्धित करना और आग फैलने के विरूद्ध पूर्वावधान करना।

22. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती हैं नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों में से किसी या सभी विषयों के लिये उपबन्ध बनाये जा सकते हैं, अर्थात् :—

(क) रीति जिसमें, और सीमा जहां तक, इस अधिनियम के अधीन मेला अधिकारी या अन्य व्यक्ति अथवा प्राधिकारी किसी पशु मेले का आयोजन, नियंत्रण, प्रबन्ध तथा विनियमन करने के लिये प्राधिकार का प्रयोग करेगा ;

(ख) रीति, जिसमें धारा 5 में निर्दिष्ट समितियां गठित की जायेंगी और उससे सम्बद्ध अन्य विषय ;

(ग) रीति, जिसमें पशु मेले के सम्बन्ध में वाणिज्यिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये स्थलों का अस्थायी रूप में आबंटन किया जायेगा तथा उनके किराये;

(घ) रीति जिसमें, और दर जिस पर, पथकर तथा कर अधिरोपित, निर्धारित तथा संगृहीत किए जाएंगे ;

(ङ) रीति जिसमें, फीस जिसके संदाय पर, और प्राधिकारी जिसके द्वारा धारा 9 के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे ;

(च) प्ररूप तथा रीति जिसमें, फीस जिसके संदाय पर, और प्राधिकारी जिसके द्वारा, धारा 10 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी ;

(छ) रीति जिसमें, और फीस जिसके संदाय पर, उपायुक्त धारा 10 की उपधारा (5) के अधीन किसी दलाल की अनुज्ञप्ति के निलम्बन अथवा रद्दकरण का आदेश पुनरीक्षित करेगा ;

(ज) रीति, जिसमें धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन पशुओं अथवा चल–सम्पति का अभिहरण अथवा विक्रय किया जाएगा ;

(झ) रीति, जिसमें प्रत्येक जिले में पशु मेला निधि गठित और प्रवर्तित की जाएगी और ऐसी निधि के उचित प्रशासन से संबद्ध विषय;

(ञ) मेला क्षेत्र में स्वच्छता तथा उसमें बीमारियों का नियंत्रण ; और

(ट) कोई अन्य प्रयोजन, जिसके लिये नियम बनाए जाने अपेक्षित हैं या बनाए जा सकते हैं।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधानमंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिये रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है। यदि उस सत्र, जिस में वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक पश्चात्वर्ती सत्र की समाप्ति से पूर्व सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिये सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जायेगा ; किन्तु इस प्रकार ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अधिनियम अन्य विधियों पर अध्यारोही

23. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जून, 2017

संख्या लैज. 9/2017.— दि हरियाणा कैटल फेयरज (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 मई, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9

हरियाणा पशु मेला (संशोधन) अधिनियम, 2017

हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970

को आगे संशोधित

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पशु मेला (संशोधन) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा पशु मेला अधिनियम, 1970 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :– 1970 के हरियाणा अधिनियम 30 में धारा 4क का रखा जाना।

"4क. पशु मेले के लिए स्कीम.– राज्य सरकार ऐसे निबन्धन और शर्तों, जो विहित की जाएं पर किसी एजैंसी के माध्यम से पशु मेले आयोजित करने और संचालित करने के लिए स्कीम बना सकती है। स्कीम में फीस के संग्रहण के लिए प्रक्रिया और रीति विनिर्दिष्ट होगी जिसमें वसूले गए धन पशु मेले निधि में जमा करवाए जाएंगे।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में,– 1970 के हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 16 का संशोधन।

(i) उप–धारा (3) में, "उपायुक्त द्वारा" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(4) उप–धारा (3) में निर्दिष्ट प्रभारों और व्ययों के संदाय के बाद, पशु मेला निधि का अतिशेष, पशु या पशुपालन के विकास और उनके आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उपयोग में लाया जाएगा।"।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।